

## मजदूरी



समय पर मजदूरी नहीं होने पर, कार्यक्रम पदाधिकारी, उपायुक्त महोदय या मनरेगा लोकपाल को शिकायत करें। अधिक देरी होने पर श्रम अदालत में भी जा सकते हैं।

